भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 223
उत्तर दिनांक 12.03.2026 को दिया गया

भारत लघु रिएक्टरों की स्थिति

*223. डा. कविता पाटीदार

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) इस्पात/एल्युमीनियम संयंत्रों के निकट औद्योगिक आबद्ध विद्युत और विकार्बनीकरण के लिए अनुकूलित भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) की स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे रिएक्टरों के लिए आवश्यक भूमि और उनकी तैनाती हेतु चिह्नित स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग ने ऐसे रिएक्टरों की व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन किया है और भारत लघु रिएक्टर नीति का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"भारत लघु रिएक्टरों की स्थिति" के संबंध में डा. कविता पाटीदार द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *223 के भाग (क) से (घ), जिसका उत्तर दिनांक 12.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण।

(क) एनपीसीआईएल ने दिनांक 31.12.2024 को कठिनाई से कम किए जाने वाले उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु स्वोत्पाद (कैप्टिव) मोड में भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) की स्थापना के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया था। आरएफपी तत्समय लागू कानूनी ढांचे के अनुरूप तैयार किए गए व्यवसाय मॉडल पर आधारित था, जिसमें शांति अधिनियम के अधिनियमन के साथ परिवर्तन हो गया है। इच्छुक पक्षों के अनुरोधों के आधार पर, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) एक सामान्य द्वि-इकाई बीएसआर परियोजना के लिए लगभग 70% कम भूमि की आवश्यकता होती है। संभावित स्थानों का विवरण केवल इच्छुक उद्योगों से आरएफपी प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

(ग) व (घ) हां। बीएसआर केजीएस-3 व 4, कैगा कर्नाटक और आरएपीएस-5 व 6, रावतभाटा, राजस्थान में पहले से ही प्रचालित 220 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर संयंत्रों का उन्नत संस्करण हैं, जिनके संरक्षा और प्रचालन निष्पादन का सिद्ध रिकॉर्ड है और व्यावसायिक रूप से परिपक्व प्रौद्योगिकी पर आधारित है।

*****